

प्रेषक,

अभय कुमार,

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,
हरमू चौक राँची, झारखण्ड
राँची-834002

पटना-15 दिनांक.....

विषय:- श्री अजीत कुमार द्वारा गया जिलान्तर्गत समदा मौजा के खाता संख्या-02, प्लॉट संख्या-647, थाना संख्या-703, थाना-गुरुआ में गया-शेरघाटी पथ के किनारे NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.015 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्री अजीत कुमार, पिता-श्री किशोर यादव, मौजा-समदा, थाना-गुरुआ, जिला-गया द्वारा समर्पित किया गया है, जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या- 400 दिनांक-31.12.1996 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। रिटेल आउटलेट के निर्माण के क्रम में 0.015 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के पत्रांक-1477 दिनांक-30.03.2022 द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर (शीशम-03, चकुण्डी-01) कुल वृक्षों की संख्या-04 है, जिसको Translocate हेतु अनुशंसा की गयी है। इस प्रकार परियोजना निर्माण के क्रम में वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया द्वारा प्रस्तावित स्थल का वानस्पतिक घनत्व 0.1 अंकित किया गया है।

कुल-0.015 हे० वन भूमि अपयोजन के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गया द्वारा FRA, 2006 प्रमाण-पत्र संलग्न है एवं प्रस्तावित अपयोजन प्रस्ताव का Geo Reference Map संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है:-

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.015 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट वैल्यू (NPV) के मद में रु० 9,57,780 लाख प्रति हे० के दर से रु० 14,367/- (चौदह हजार तीन सौ सड़सठ रुपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. हरितावरण को बनाये रखने के लिये 100 (एक सौ) वृक्षों के रोपण एवं सम्पोषण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या-03, दिनांक-01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
4. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।
5. भारत सरकार के पत्र संख्या-11-29/2004 दिनांक-15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकाय छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक-5-3/2007 दिनांक-18.03.2020 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकाय छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1-1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश एवं निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-67/2023...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/श्री अजीत कुमार, पिता-श्री किशोर यादव, मौजा-समदा, थाना-गुरुआ, जिला-गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

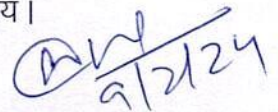
ह०/-

(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि-67/2023...../प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :-आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव से संबंधित LOI, सी०ए० स्कीम, Topo Sheet एवं पार्ट-V को मंत्रालय के वेब-साईट पर अपलोड करते हुए on-line उद्भूत पार्ट-2 उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।



(अभय कुमार)

वन संरक्षक-सह-अपर सचिव

PART-V

(To be filled in by the Secretary in Charge of forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Recommendation of the State Government:-

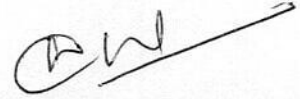
(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

The proposed diversion of 0.015 ha. forest land for construction of Approach/ Exit road to the NX100 Pacific Biofuel Pvt. Ltd. retail-outlet on Gaya-Sherghati Road in District - Gaya may be sanctioned subject to the condition/ stipulation mentioned in the forwarding letter.

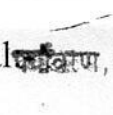
Date:- 9/2/24

Place:- PATNA

Signature:-



Name of Designation:-

Official Seal  अपर सचिव
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार, पटना